



# प्रेरणा

असाक्षर बंदियों के लिए साक्षरता कार्यक्रम  
(2012–2013)

आयोजक

जन शिक्षा निदेशालय, तथा बिहार कारा प्रशासन

## कार्यक्रम का उद्देश्य

1. 15<sup>+</sup> असाक्षर बंदियों को पढ़ने–लिखने, सीखने का अवसर देना ।
2. अच्छा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना ।
3. परिवार तथा समाज के प्रति दायित्व बोध कराना ।
4. आत्मविश्वास जगाना ।
5. समय का सदुपयोग सिखाना ।
6. कार्यात्मक साक्षरता अर्थात् दैनिक कार्यों हेतु पढ़ने–लिखने, समझने, पत्र लिखने योग्य बनाना ।
7. आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करना ।

## जिम्मेवारी

- कारा प्रशासन द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) के सहयोग से कार्यक्रम संचालित होगा।
- जिला जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), प्रशिक्षक की व्यवस्था करेंगे।
- शिक्षित बंदियों में से स्वयंसवेक (साक्षरता शिक्षक) चयनित किये जायेंगे।
- प्रवेशिका का क्रय राज्य साधन केन्द्र दीपायतन से किया जाएगा।
- अन्य पठन-पाठन सामग्री बाजार से क्रय की जायेगी।
- केन्द्र 6 माह चलने के बाद शिक्षुओं का मूल्यांकन (प्रगति का आकलन) किया जायेगा।

# कारा अधीक्षक / प्रोवेशन पदाधिकारी की

## भूमिका

- असाक्षर बंदियों की पहचान।
- पढ़ाने के लिए शिक्षित स्वयंसेवक का चयन।
- पठन-पाठन सामग्री एवं पुस्तकालय हेतु पुस्तकों का क्रय एवं रख-रखाव की व्यवस्था।
- स्वयंसेवकों का प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण।
- पठन-पाठन सामग्री का वितरण।
- प्रेरणा केन्द्र का आरंभ, दैनिक संचालन एवं अनुश्रवण।
- शिशिक्षु मूल्यांकन की व्यवस्था।
- भौतिक तथा आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह महानिरीक्षक तथा निदेशक, जन शिक्षा को प्रेषित करना।

## जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं मुख्य कार्यक्रम समन्वयक (साक्षर भारत) की भूमिका

- कारा प्रशासन के साथ समन्वय करना ।
- सर्वे और मैचिंग-बैचिंग में मदद करना ।
- प्रशिक्षक सूची राज्य को उपलब्ध कराना ।
- स्वयंसेवकों को प्रशिक्षक उपलब्ध कराना ।
- सामग्री की उपलब्धता में मदद करना ।
- अनुश्रवण और अनुसमर्थन ।
- कार्यक्रम की प्रगति के बारे में निदेशालय को प्रतिवेदन ।

## जन शिक्षा निदेशालय की भूमिका

- कारा प्रशासन एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) के बीच समन्वयन करना ।
- आरंभिक बैठक एवं कारा अधीक्षक को राशि उपलब्ध कराना ।
- कार्यक्रम का अनुश्रवण करना ।
- कारा प्रशासन से उपयोगिता प्रमाण-पत्र (भौतिक और वित्तीय) का संग्रह करना ।

# साक्षरता केन्द्र का संचालन

1. साक्षरता केन्द्र कारा के प्रकार एवं काराओं में संसीमित निरक्षर बंदियों की संख्या के आधार पर निर्धारित की गयी है।
2. प्रति केन्द्रीय कारा – अधिकतम 8 केन्द्र।  
प्रति मंडल कारा – अधिकतम 6 केन्द्र।  
प्रति उपकारा – अधिकतम 2 केन्द्र।
3. प्रति केन्द्र दो स्वयंसेवक शिक्षक की व्यवस्था।
4. प्रति केन्द्रीय कारा-2, प्रति मंडल कारा-2 एवं प्रति उपकारा-1 प्रशिक्षक की व्यवस्था है, जिन्हें 6 महीने में कम से कम 30 दिन अनुश्रवण करना अनिवार्य होगा।

## पुस्तकालय

1. प्रति कारा पुस्तकालय के संवर्द्धन के लिए रु0 3,000 /– राशि की व्यवस्था की गई है।
2. पुस्तकालय के लिए पुस्तके **SRCs, NBT, CBT, BGVS, Eklabya** आदि प्रकाशनों से खरीदी जा सकती हैं।
3. पुस्तकें सरल, प्रेरणादायी एवं स्तरीय हों। मोटी, बोझिल पुस्तकों से बचा जाय।
4. पुस्तकालय का नाम किसी महापुरुष/महान महिला के नाम पर रखा जा सकता है।
5. पुस्तकालय का संचालन प्रभारी पढ़े-लिखे किसी एक बंदी को बनाया जा सकता है।



## चुनौतियाँ

1. जेल में कई महत्वपूर्ण और अनिवार्य कार्यों का दायित्व रहता है। इसमें से साक्षरता के लिए समय निकालना एवं इसमें रूचि लेना।
2. पठन—पाठन का सकारात्मक माहौल।
3. समय से सामग्रियों का क्रय।
4. पठन—पाठन वर्ग को रूचिकर बनायें रखना।
5. कैदियों को कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ना।
6. पुस्तकालय संचालन एवं फिल्म शो की व्यवस्था।
7. कैदियों में आत्मविश्वास निर्माण।
8. बची राशि का शैक्षणिक सदुपयोग।
9. प्रतिवेदन प्रेषण।